

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6 / वि०पत्रा०-24-26 / 2023

/पटना, दिनांक—

श्री गौतम कुमार गोस्वामी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-2, मुजफ्फरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-23.06.2025 से 04.08.2025 तक 43 (तेतालीस) दिनों का उपार्जित अवकाश तथा बिहार सेवा संहिता के नियम, 180 एवं 236 के तहत दिनांक-05.08.2025 से 14.09.2025 तक 41 (एकतालीस) दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री गोस्वामी के अवकाश लेखा में (43-43=00) (शून्य) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(नीतू सिंह)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / वि०पत्रा-24-26 / 2023 793

/पटना, दिनांक— 09/03/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना-800015/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/अंचल प्रभारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-2, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच०आर० मैनेजर (स्था०), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री गौतम कुमार गोस्वामी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-2, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नीतू
06.03.26

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।